



कार्यालय उप वन संरक्षक, झुंझुनू

क्रमांक—एफ()एफसीए/उवसञ्च/१०५५

दिनांक:— ०५-१०-२०१६

मुख्य वन संरक्षक
जयपुर।

विषय:—ITJSK Package-2 Drinking water project की वनखण्ड बांसियाल-53, खेतड़ी-48, खरखड़ा-49 रेंज खेतड़ी में आने वाली 0.5662 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति बाबत।
संदर्भ:—वन संरक्षक, जयपुर से आज दिनांक 04.11.2016 को दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ITJSK Package-2 Drinking water project में सम्मिलित वन भूमि का वनखण्डवार विवरण निम्नानुसार है :-

I

क्र. सं.	वनखण्ड	रेंज	वनखण्ड	क्षेत्रफल (हैक्टर में)	वैधानिक स्थिति
1	झुंझुनू	खेतड़ी	खरखड़ा-49	0.0657	रक्षित वन
2	झुंझुनू	खेतड़ी	खेतड़ी-48	0.1465	रक्षित वन
3	झुंझुनू	खेतड़ी	बांसियाल-53	0.354	रक्षित वन
योग				0.5662	

II वन क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम

1. अधिशाषी अभियन्ता, पी.एच.ई.डी. परियोजना श्री जयचन्द मालसरिया
2. अधिशाषी अभियन्ता, पी.एच.ई.डी. परियोजना श्री आर.पी. गुप्ता
3. अधिशाषी अभियन्ता, पी.एच.ई.डी. परियोजना श्री दिनेश सैनी
4. सहायक अभियन्ता, पी.एच.ई.डी. परियोजना श्री सिद्धार्थ मीना

III अवैध रूप से हुई उच्च जलाशय निर्माण की अवधि लगभग मार्च 2014 से फरवरी 2015 के मध्य

भवदीय


(अ.रि.एन.मीना)
उप वन संरक्षक
झुंझुनू